संख्या-04/2020 /398 /52-4-2020-2(आ०/बजट)/2018

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग- 4 **लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर , 2020**

विषय : उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान में **द्वितीय किश्त** की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1221/अ०सं०आ०/2020-36वि०/19, दिनांक 13.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-47/540/52-1-2020-02 (आ०/बजट)/2018, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रथम किश्त उ०प्र० अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-48 लेखा शीर्षक-"31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 1,51,92,000/- का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि रू० 75,96,000/- (रू० पचहत्तर लाख छियानबे हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त प्राविधानित धनराशि रूपये रू० 1,51,92,000/- में अवशेष धनराशि रू० 75,96,000/- (रू० पचहत्तर लाख छियानबे हजार मात्र) स्वीकृति करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०	मद का नाम	आययक में प्राविधानित व्य- (रूपये में) धनराशि	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	31-सहायता अनुदान(वेतन) सामान्य-	1,51,92,000/-	75,96,000/-
	कुल	**1,51,92,000/-**	**75,96,000/-**

(क)- जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है, उनके लिए व्यय की मानक मद "31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थायी आदेशों के अधीन के अधीन प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्गत की जायेगी । यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख)- धनराशियों का प्रवेंशन मात्र एलॉटमेण्ट किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग)- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं" पर व्यय के लिए न किया जाय।

(घ)- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ड.)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुश्चित किया जाय।

(च)- धनराशि का यथा-समय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी०एम०-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-105 विशेष जांच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान- 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या -04/2020 /398 / (1)/बावन-4-2020, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकर, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in